न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—26/2014/अपील

श्रीमती सुरजी पुत्री चुन्नाराम पत्नी स्व. केशर देव जाति जाट निवासी गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. पूर्णाराम पुत्र चुन्नाराम जाति जाट निवासी शास्त्रीनगर नेहरू पार्क वार्ड नं. 14 सीकर तहसील व जिला सीकर
2. बीरबल पुत्र चुनाराम जाट निवासी बलरामनगर पुरोहित जी की ढाणी पुलिस लाईन के पीछे सीकर
3. केशर पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागृह सीकर
4. तुलछाराम पुत्र श्री चुनाराम जाति जाट निवासी शास्त्रीनगर नेहरू पार्क वार्ड नं. 14 सीकर तहसील व जिला सीकर
5. शिवभगवान पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 15 विक्रम स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर
6. मंजू पुत्री शिवभगवान
7. ममता पुत्री शिवभगवान
8. सुनीता पुत्री शिवभगवान
9. किरण पुत्री शिवभगवान
10. मुकेश पुत्र शिवभगवान

   } समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 15 विक्रम स्कूल के पास सीकर

11. तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 660 दिनांक 02.06.1981 निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ सीकर

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार मिश्रा
वकील रेस्पो. श्री सोहन लाल

निर्णय

दिनांकः—14.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पों0 सं. 1 ता 9 की वंशावली निम्न प्रकार है—

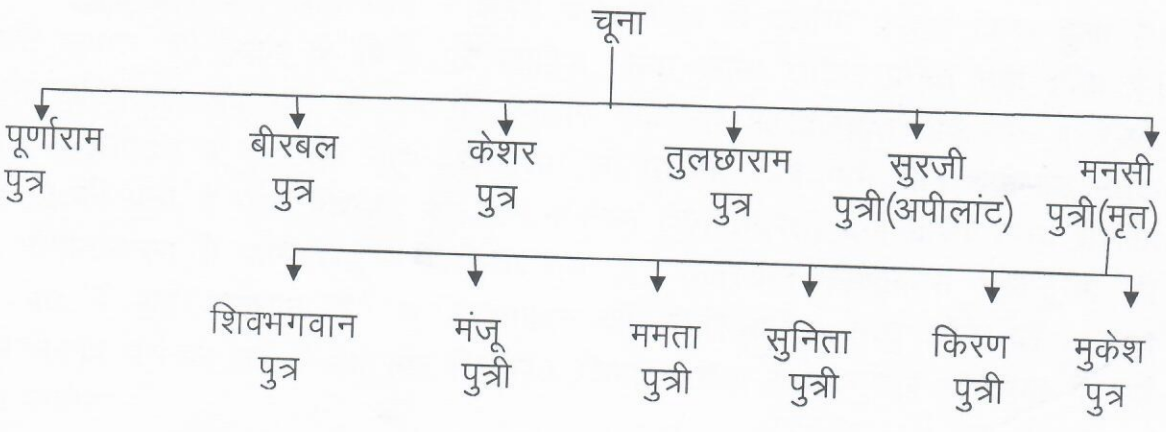

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1 ता 10 एक ही परिवार स्व0 चूनाराम पुत्र रतना के वारिसान हैं। ग्राम मीलों की ढ़ाणी तन मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर नये 101 रकबा 3.63 हैक्टर व खसरा नं. 111 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.73 है0 अवस्थित है जिसकी संपूर्ण की खातेदारी अपीलांट व गैर अपीलांट के पूर्वज चुना पुत्र रतना के नाम से थी तथा उसी के हक अधिकार व स्वामित्व की यह कृषि भूमि रही है। चुना पुत्र रतना का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त भूमि की विरासत का नामांतकरण संख्या 660 दिनांक 02.06.81 राजस्व अभियान के तहत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा चुना के पुत्रगण पूर्णाराम बीरबल केशर तुलछा (रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4) के नाम से ही स्वीकृत किया गया है। नामांतकरण संख्या 660 स्वीकृत करने से पूर्ण अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट मृतक चुना की जायंदा पुत्री होने से उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा नामांतकरण भरने से पूर्व ग्राम पंचायत से मृतक चुना के वारिस प्रमाण पत्र की न तो मांग की गई तथा न ही उसके वारिसान के संदर्भ में कोई जांच की गई। हल्का पटवारी द्वारा सरसरी तौर पर की गई रिपोर्ट के आधार पर ही नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा नामांतकरण सख्या 660 स्वीकृत करने से पूर्व मृतक चुना के प्रथम श्रेणी के वारिसान जिसमें अपीलांट पुत्री के रूप में तथा मृतक मनसी भी पुत्री के रूप में प्रथम श्रेणी की वारिसान थी, लेकिन पुत्री मनसी की दिनांक 27.10.09 को मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान रेस्पा. सं. 5 ता 10 को पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट के पिता चुना राम निर्वसीयत ही स्वर्गवास हो गये थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक की पुत्रीयों का पुत्र के समान हक व हिस्सा था परंतु नामांतकरण की कार्यवाही करने समय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा कर नामांतकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि की काश्त कभी स्वयं तथा कभी मजदूरों से करवाती आ रही है। अपीलांट की बहिन मनसी देवी का देहांत दिनांक 27.10.09 को अपीलांट के पिता चुनाराम का देहांत दिनांक 01.05.81 को अपीलांट की माता श्रीमती अणची देवी का देहांत दिनांक 07.04.06 को हो चुका है इसलिए अपीलांट की मृतक बहिन मनसी के वारिसान को सुनवाई के लिए इस अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 02.06.1981 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को निरस्त फरमाया जाकर मृतक चूनाराम की विरासत का नामान्तकरण प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसान अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 ता 10 के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को आदि के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विवेचन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बंध में आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र अपील के सलंग्न प्रस्तुत किया हुआ है। जिससे अपील को म्याद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के कथनों अनुसार वादग्रस्त आराजियात अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के पिता मृतक चुन्नाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि थी। अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री है तथा विरासत का नामान्तकरण (चुनौतिग्रस्त) दर्ज करते समय उसका नाम नामान्तकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official